..आदेश..

दिनांक 15.10.2015

कमांक 6585 /21-अ(स्था.). श्री रमाकांत पाण्डे, दफतरी को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न सुपरवाईजर के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 5200-20200 ग्रेड-पे रू. 1900/-में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक 65 % / 21—अ(स्था.), श्री भैरूलाल मनेरिया, जमादार को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न सुपरवाईजर के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 5200—20200 ग्रेंड—पे रू. 1900/— में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक ६ 50। /21–अ(स्था.). श्री इकराम उल्लाह खान, भृत्य को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न दफतरी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 4440–7440 ग्रेड–पे रू. 1400/– में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक 6592-/21-अ(स्था.), श्री दिलीप चतुर, मृत्य को अस्थाई रूप से स्थानापन्न दफतरी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 4440-7440 ग्रेंड-पे रू. 1400/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक 6503 /21-अ(स्था.). श्री दुर्गाप्रसाद, मृत्य को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न जमादार के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 4440-7440 ग्रेड-पे रू. 1400/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक 650 4 /21—अ(स्था.), श्री महादेव उईके (अ.ज.जा.), भृत्य, महाधिवक्ता कार्यालय, स्थानापन्न जबलपुर को अस्थाई रूप से विधि विभाग, भोपाल में जमादार के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 4440-7440 ग्रेंड-पे रू. 1400/- में कार्यभार ग्रहण करने के विनांक से पदोन्नत किया जाता है।

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नित के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है।"

(विरेन्दर सिंह) प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल भोपाल, दिनांक 15.10.2015

पृ.क. 65% 21—अ(स्था.). प्रतिलिपि:—

महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., जबलपुर,

अति, महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., इंदौर / ग्वालियर,

 संबंधित शासकीय सेवक श्री/सुश्री/श्रीमती/ विधायी कार्य विभाग, म.प्र. भोपाल/महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र. जबलपुर/अति. महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र. इंदौर/ग्वालियर,

संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर.

 वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विस्थाचल मवन, भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर,
संबंधित लिपिक, सेया-पुरितका, व्यक्तिगत नस्ती में प्रविष्टी के लिये और पे-बिल लिपिक व आई.टी. प्रकोष्ठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

× (आर.क: वासी),ऽ४१६ सचिव,

..आदेश...

दिनांक 15.10.2015

कमांक ५5% / 21-अ(स्था.), श्री राज बहोर मिश्रा, सहायक ग्रेड-2, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थाई रूप से महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में स्थानापन्न सहायक ग्रेड-1 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 9300-34800 ग्रेड-पे रू. 3600/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक ६५७% /21-अ(स्था.). श्री अरूण अग्रवाल, सहायक ग्रेड-2, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न सहायक ग्रेड-1 के पद पर पुनशिक्षित वेतन बैंड रू. 9300-34800 ग्रेड-पे रू. 3600/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक 6580 /21-अ(स्था.), श्री विजय सिंह पवैया (अ.जा.), सहायक ग्रेड-2, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर को अस्थाई रूप से अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में स्थानापन्न सहायक ग्रेड-1 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बेंड रू. 9300-34800 ग्रेड-पे रू. 3600/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक 65% / 21—अ(स्था.), श्री शरद तिवारी, सहायक ग्रेड—3, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न लेखापाल के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 5200—20200 ग्रेड—पे रू. 2400/— में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक 6 582—/21—अ(स्था.), श्री भंवर सिंह ठाकुर (अ.ज.जा.), सहायक ग्रेड-3, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न लेखापाल के पद पर पुनरीक्षित वेतन वैंड रू. 5200—20200 ग्रेड-पे रू. 2400/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक 6583 /21-अ(स्था.), श्री मोहन मिश्रा, सहायक ग्रेड-3, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग, भोपाल में स्थानापन्न सहायक ग्रेड-2 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 5200-20200 ग्रेड-पे रू. 2400/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक 6584 /21-अ(स्था.), श्रीमती पुष्पा माहौर (अ.जा.), सहायक ग्रेड-3, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न सहायक ग्रेड-2 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 5200-20200 ग्रेड-पे रू. 2400/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक 6585 /21-अ(स्था.), श्रीमती सुषमा डिकोना (अ.ज.जा.), सहायक ग्रेड-3, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न सहायक ग्रेड-2 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 5200-20200 ग्रेड-पे रू. 2400/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक ७५८७ / २१-अ(स्था.), श्रीमती संजीता सहेरिया (अ.ज.जा.), सहायक ग्रेड-3, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न सहायक ग्रेड-2 के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 5200-20200 ग्रेंड-पे रू. 2400/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

कमांक 65% / 21-अ(स्था.), श्री उबेश खान, भृत्य, विधि विभाग को अस्थाई रूप से विधि विभाग में स्थानापन्न वाहन चालक के पद पर पुनरीक्षित वेतन ब्रैंड रू. 5200-20200 ग्रेड-पे रू. 1900/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत किया जाता है।

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है।"

(विरेन्दर सिंह)

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

प्रक.6588 / 21-अ(स्था.) प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15.10.2015

 महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., जबलपुर, अति. महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., इंदौर / ग्वालियर,

3. संबंधित शासकीय सेवक श्री/सुश्री/श्रीमती/..... विधायी कार्य विभाग, म.प्र. भोपाल/महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., जबलपुर/अति. महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., इंदौर / ग्वालियर,

संगागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल / जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर,

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल / जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर,

संबंधित लिपिक, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती में प्रविष्टी के लिये और पे-बिल लिपिक व आई.टी. प्रकोष्ठें को आवश्यक कार्यवाही हेतु.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् अग्रेषित।

🇠 (आर.के. वाणी सचिव.

..आदेश.

दिनांक 15.10.2015

कमांक 65% /21-अ(स्था), राज्य शासन, श्री कमलाकर मांजरेकर, सहायक ग्रेड-1, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर को अस्थाई रूप से अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर में स्थानापन्न अनुमाग अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 9300-34800 ग्रेड-पे रू. 4200/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है।

कमांक 6574 /21-अ(स्था.), राज्य शासन, श्री यशवंत सिंह (अ.जा.), सहायक ग्रेड-1, विधि विभाग, भोपाल को अस्थाई रूप से विधि विभाग, भोपाल में स्थानापन्न प्रशासकीय अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बेंड रू. 9300-34800 ग्रेड-पे रू. 4200/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है।

कमांक ७५ १५ / २१ – अ(स्था.), राज्य शासन, श्री रामेश्वर राम (अ.ज.जा.), सहायक ग्रेड – 1. अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर को अस्थाई रूप से अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 9300–34800 ग्रेड – पे रू. 4200 / – में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है। कमांक ७ ८५ / २१ – अ(स्था.), राज्य शासन, श्रीमती राजेश्वरी पिल्लई, निज सहायक (अंग्रेजी), महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थाई रूप से महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में स्थानापन्न निज सचिव (अंग्रेजी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बेंड रू. 9300–34800 ग्रेड – पे रू. 4200 / – में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है।

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नित के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है।"

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हरता/-

(विरेन्दर सिंह)

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15.10.2015

पृ.क. 65 मि/ 21—अ(स्था.). प्रतिलिपि:—

तालायः— 1. महाधिवक्ता कार्यालयं म.प्र., जबलपुर,

2. अति. महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., इंदौर/ग्वालियर,

संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल / जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर,

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर,
संबंधित लिपिक, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती में प्रविष्टी के लिये और पे–बिल लिपिक व आई.टी. प्रकोष्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी

अंक में प्रकाशनार्थ।

..आदेश..

दिनांक 15.10.2015

कमांक 6569 /21—अ(स्था.), राज्य शासन, श्रीमती सामवती बारला, अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में अपर सचिव, न्यायिक सेवा के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न उप सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 15600—39100 ग्रेड—पे रू. 7600/-में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है।

कमांक \$ \$\textit{\$\mathcal{G}\times \rho} / 21-3 (स्था.), राज्य शासन, श्री एच.एम. बाथम (अ.ज.जा.), अनुमाग अधिकारी, विधि विमाग, भोपाल को अरथाई रूप से विधि विभाग, भोपाल में स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 15600-39100 ग्रेड-पे रू. 6600/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है।

कमांक (5) / 21-अ(स्था.), राज्य शासन, श्रीमती चंद्रकांता चौरसिया, अनुभाग अधिकारी, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर को अस्थाई रूप से विधि विभाग, भोपाल में स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू. 15600-39100 ग्रेड-पे रू. 6600/- में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है।

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है।"

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हरूता/-(विरेन्दर सिंह) प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल भोपाल, दिनांक 15.10.2015

पू.क.65 72/21-अ(स्था.), प्रतिलिपि:-

- 1. महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., जबलपुर,
- 2. अति. महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., इंदौर,
- 3. श्रीमती सामवती बारला, अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., जबलपुर,
- 4. श्री एच.एम. बाथम, अनुभाग अधिकारी, विधि और विधायी कार्य विभाग,
- श्रीमती चंद्रकांता चौरसिया, अनुभाग अधिकारी, अति. महाधिवक्ता कार्यालय म.प्र., इंदौर,
- 6. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल/जबलपुर/इंदौर,
- वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल/जबलपुर/इंदौर,
- संबंधित लिपिक, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती में प्रविष्टी के लिये और पे—बिल लिपिक व आई.टी. प्रकोष्ठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र, राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

A (आर.के. वामी) र 5× W